न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

सप्लाई विविध संख्या 12/2022 (2022/87)

<u>प्रार्थी</u> :–
सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना प्रतापनगर सदर बाजार।

<u>बनाम</u>

<u>अप्रार्थी</u> :–
नरपत गुर्जर पुत्र मोडाराम, उम्र 34 साल, निवासी खाण्डाफलसा, जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत।

<u>उपस्थिति</u> :–
अप्रार्थी अनुपस्थित।

–: <u>निर्णय</u> :– दिनांक :– 17.02.2023

श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के पत्रांक/कोर्ट/डीएम /2022/2170 दिनांक 04.10.2022 के द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 03.08.2022 को गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण व गैस सिलेण्डरों से गैस भरने के अवैध कार्य की सूचना मिलने पर अनु ऑटो पार्टस गैरेज पर वास्ते जांच पंहुचने पर मौके पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर भरा हुआ तथा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर खाली व वाहन टैक्सी जिसके रजि0 नं0 आरजे 19 पीबी 7612 को जब्त किया गया। मौके पर सिलेण्डर के संबंध में कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। उक्त घरेलू सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यवसायिक प्रयोग द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन होने तथा धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से उपरोक्त गैस सिलेण्डर व वाहन जब्त कर राजसात् करने तथा अंतरिम निस्तारण करने की प्रार्थना की।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी दिनांक 16.11.2022 को न्यायालय में उपस्थित हुआ। उसके बाद से आज दिनांक तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:53:21 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा घेरलू गैस सिलेण्डर का अन्य सिलेण्डर में भरने का कृत्य एवं अवैध सिलेण्डर संग्रहीत रखने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 4 (a) (b) की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए व 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से कार्यवाही से सहमत होते हुए जब्तसुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डर (01 एच0 पी0 कम्पनी तथा 2 भारत गैस कम्पनी) तथा एक गैस भरने की इलेक्ट्रोनिक मशीन को राजसात (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वह जब्तसुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डर (01 एच0 पी0 कम्पीन तथा 2 भारत गैस कम्पनी) तथा एक गैस भरने की इलेक्ट्रोनिक मशीन को जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को सुपुर्द करें। जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त गैस सिलेण्डर को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें तथा उससे प्राप्त राशि निर्धारित मद में राजकोष में जमा करायी जाये। एक गैस भरने की इलेक्ट्रोनिक मशीन को निलामी के माध्यम से बेचकर इससे प्राप्त राशि को निर्धारित मद में राजकोष में जमा करावें। आदेश की एक–एक प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना प्रतापनगर सदर बाजार जोधपुर तथा जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश की पालना रिपार्ट एक माह में प्रस्तुत करें। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन टैक्सी जिसके रजि0 नं0 आरजे 19 पीबी 7612 को पूर्व में ही जमानतनामा व सुपूर्दगीनामा पर रिलीज किया जा चुका है।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 17.02.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:53:21 IST
Reason: SelfAttested